(केवल कार्यालयीन उपयोग हेतु)

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय के समस्त अधिकारियों, आंचलिक कार्यालयों के संयुक्त संचालक/उप संचालकों/तकनीकी संभागों के कार्यपालन यंत्री/सहायक यंत्रियों एवं संभागीय मुख्यालयों के मंडी सचिवों के साथ दिनांक 12/01/2026 को आयोजित समय-सीमा समीक्षा बैठक का कार्यवाही विवरण

--oo--

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय के समस्त अधिकारियों, आंचलिक कार्यालयों के संयुक्त संचालक/उप संचालकों, तकनीकी संभागों के कार्यपालन यंत्री/सहायक यंत्रियों एवं संभागीय मुख्यालयों के मंडी सचिवों के साथ प्रबंध संचालक सह आयुक्त की अध्यक्षता में दिनांक 12/01/2026 को प्रातः 10:30 बजे मुख्यालय में समय सीमा की बैठक आयोजित की गई। उक्त बैठक में मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय के समस्त अधिकारी, आंचलिक कार्यालयों से संयुक्त/उप संचालक, तकनीकी संभागों के कार्यपालन यंत्री/सहायक यंत्री एवं संभागीय मुख्यालयों के मंडी सचिव वर्चुअल रूप से उपस्थित रहे। बैठक में निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा की गई:-

1.**भावांतर भुगतान योजना के सफल क्रियान्वयन के संबंध में निर्देश :-**

समस्त संभागीय अधिकारी एवं मंडी सचिव भावांतर भुगतान के शेष दिवसों में पूर्ण सतर्कता के साथ कार्य करें एवं ऐसी किसी भी प्रकार की स्थिति निर्मित नहीं हो जिससे भावांतर योजना की अंतिम स्थिति में सफलतापूर्वक क्रियान्वयन की दिशा में नकारात्मकता उत्पन्न हो। समस्त पात्र किसानों को उनके भावांतर का उचित मूल्य प्रदाय करना हमारा लक्ष्य होना चाहिए साथ ही भावांतर योजना अंतर्गत सत्यापन का कार्य जारी रखते हुए समय पर ही किए जाने के निर्देश हैं।

2.भावांतर से संबंधित सी.एम.हेल्पलाईन शिकायत:-

समस्त संभागीय अधिकारियों एवं मंडी सचिवों को पूर्व में निर्देशित किया गया था कि सी.एम.हेल्पलाईन से संबंधित शिकायतों में अनिवार्य रूप से हर स्तर पर की गई कार्यवाही की प्रविष्टी हो एवं किसी भी स्तर पर शिकायतें बिना प्रविष्टी के अगले स्तर पर नहीं जाएं।

सभी मंडी सचिव एवं आंचलिक संयुक्त संचालक अपने स्तर पर शिकायतों का गहन परीक्षण करें एवं ऐसी शिकायतें जिनमें किसानों को भावांतर की राशि का भुगतान नहीं हुआ है उन शिकायतों पर प्राथमिकता प्रदान कर कार्यवाही करें। भावांतर भुगतान योजना के मापदंड में आने वाले संबंधित किसानों को उनकी पात्रता अनुसार भुगतान प्राप्त हो एवं जिन शिकायतों में किसान योजना के मापदंड में नहीं आते उन शिकायातों में स्पष्ट रूप से पोर्टल पर प्रविष्टी करने के निर्देश हैं। भोपाल संभाग में 13, इंदौर में 88, सागर में 23, उज्जैन में 27, ग्वालियर में 04 एवं रीवा में 1 इस प्रकार कुल 156 शिकायतें एल-1 से एल-2 पर अनुत्तरित हैं एवं कुल 145 शिकायतें एल-2 से एल-3 पर अनुत्तरित हैं इन शिकायतों की पोर्टल पर प्रविष्टी कर प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश हैं।

3.लाइसेंसिंग एवं तौलकांटे की प्रक्रिया का सरलीकरण:-

लाइसेंसिंग प्रक्रिया को सरल बनाने की दिशा में कार्य करने के निर्देश हैं, साथ ही आवश्यकतानुसार ऑनलाईन पोर्टल को उक्त के संबंध में अद्यतन करें।व्यापारियों की प्रतिभूति राशि, लाइसेंस नवीनीकरण आदि से संबंधित ऑनलाईन विवरणों के साथ सुगमता के लिए Automatic Notification की व्यवस्था प्रदान करने एवं विपणन सरलीकरण की दिशा में कार्य करें। कृषि वर्ष में उक्त कार्य को सम्मिलित करते हुए प्रभावी योजना बनाकर कार्य करने के निर्देश हैं।

तौलकांटे की प्रक्रिया को सरल करने की दिशा में कार्य करने के निर्देश हैं साथ ही मंडीवार आवश्यकतानुसार तौलकांटे की संख्या निर्धारित की जाए।

अन्य महत्वपूर्ण निर्देश:-

1.सार्थक एप से अधिकारी/कर्मचारियों की उपस्थिति दर्ज किए जाने के निर्देश पूर्व में दिए गए हैं इसके साथ ही समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी कार्यालयीन समय प्रात: 10:00 बजे अपने कार्यालय में उपस्थित रहेंगे। 15 जनवरी 2026 से उपस्थिति पोर्टल वेतन से लिंक रहेगा।नियमित कर्मचारी एवं ऑउटसोर्स कर्मचारी दो स्तरों पर पोर्टल पर उपस्थिति दर्ज हो इस संबंध में आई.टी. शाखा को निर्देशित किया गया।

2.समस्त संभागीय अधिकारी अपने संभाग अंतर्गत आने वाली मंडियो में कार्यरत हम्मालों के चरित्र का सत्यापन संबंधित मंडी सचिव के माध्यम से प्राप्त कर अवगत कराएं। हम्माल स्वयं संबंधित पुलिस थाने से चरित्र सत्यापन प्राप्त कर मंडी समिति में प्रस्तुत करेंगे। इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही मंडी सचिव करेंगे। कार्य की समय-सीमा 15 फरवरी 2026 नियत है।

(कार्यवाही समस्त आंचलिक अधिकारी एवं मंडी सचिव)

3.समस्त आंचलिक एवं तकनीकी संभाग के अधिकारी सुनश्चित करें की ई-एच.आर.एम.एस संबंधी कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है। वर्ष 2025-26 के गोपनीय प्रतिवेदन ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से ही प्रविष्ट किए जाएंगे इस संबंध में पोर्टल पर प्रतिवेदित /प्रतिवदेक /समीक्षक/ स्वीकारकर्ता प्रत्येक स्तर पर मतांकन प्रविष्टी एवं स्वयं मूल्यांकन हेतु एक समय-सीमा निर्धारित करने हेतु उपसंचालक (स्थापना) शाखा द्वारा एक परिपत्र जारी करेंगे एवं इसी अनुक्रम में ही पोर्टल पर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश हैं।

(कार्यवाही स्थापना एवं एम.आई.एस शाखा)

4.मंडी समिति चौरई के प्रकरण में संयुक्त संचालक जबलपुर एक प्रतिवदेन मुख्यालय प्रेषित करें।

5.निरीक्षण के दौरान बिना मंडी शुल्क का भुगतान किये हुए अवैध रूप से परिवहन किए जा रहे प्रकरणों में अवैध उपज को राजसात कर नीलामी संबंधी कार्रवाई करने के निर्देश हैं।

6. इंदौर मंडी अंतर्गत मंडी स्थानांतरण संबंधी कार्यवाही पूर्ण करने के लिए समय-सीमा 28 फरवरी 2026 तक की नियत की गई है। (कार्यवाही आंचलिक कार्यालय इंदौर एवं मंडी सचिव इंदौर)

7.जावरा मंडी स्थानांतरण के संबंध में आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करने हेतु समय-सीमा 31 जनवरी 2026 नियत की गई है। (कार्यवाही आंचलिक कार्यालय उज्जैन)

8.शासन द्वारा सरसों को भी भावांतर भुगतान योजना में सम्मिलित किए जाने की योजना प्रस्तावित है इस संबंध में पूर्व योजना बनाकर कार्य किया जाना है। इस हेतु आंचलिक अधिकारी ग्वालियर एवं सागर अपने संभाग अंतर्गत मंडियों में सरसों के अनुमानित आवक की स्थिति के संबंध में संबंधित कृषि अधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त करें एवं पिछले वर्ष से तुलनात्मक आवक की मंडी वार स्थिति एवं पटवारी हल्का वार कार्ययोजना समय-सीमा में तैयार करें।

9.श्योपुर मंडी अंतर्गत अनुबंध पर्ची जारी करने के संबंध में मंडी सचिव श्योपुर को कारण बताओ सूचना पत्र जारी करने के निर्देश हैं।

10.शिकायत के पत्रों पर समय-सीमा में प्रभावी कार्य करने के निर्देश हैं।

11.शाखावार समय-सीमा के प्रकरणों पर चर्चा की गई तथा समय-सीमा के पत्रों पर प्राथमिकता से कार्यवाही करने के निर्देश हैं एवं कार्यवाही पूर्ण वाले प्रकरणों को समय-सीमा पत्र से विलोपित किया गया।

(धन्यवाद ज्ञापन उपरांत समय-सीमा समीक्षा बैठक संपन्न हुई।)

(कुमार पुरूषोत्तम)
प्रबंध संचालक सह आयुक्त
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

पृ.क्र./बोर्ड/समन्वय/समय-सीमा/जनवरी/2026/ 2369 भोपाल, दिनांकः- 15/01/2026

प्रतिलिपिः- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1 निज सहायक, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल ।

2 अपर प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल।

3 अपर संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल।

4 संयुक्त संचालक/अधीक्षण यंत्री, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल।

5 उप संचालक/कार्यपालन यंत्री/ सहायक संचालक, म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय,भोपाल।

6 संयुक्त संचालक/उप संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय (समस्त)।

7 कार्यपालन यंत्री/प्रभारी कार्यपालन यंत्री, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, तकनीकी संभाग (समस्त)।

8 सचिव, कृषि उपज मंडी समिति (समस्त), मध्यप्रदेश।

प्रबंध संचालक सह आयुक्त
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल